FORM No. III APP-A

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्ट्रर मुकाम....खींवसर

विकास बनाम जवरीमल

किस्म मुकदमा...राजस्व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट....नं........91....... सन् 2021

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	28.07.2021	

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी श्री अविनाश सुथार ने अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है इसलिए वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना जावे, वकील प्रार्थी के निवेदन पर वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। तथा पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड का अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है एवं प्रार्थी के कथनानुसार वादगस्त आराजी हमारी पुश्तैनी आराजी है जिसका अप्रार्थीगण अजनबी केता को बैचान करने पर आमदा है वाद निस्तारण या बंटवाड़ा तक उक्त वादग्रस्त आराजी को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र दर्ज रजिस्ट्रर हो। बहक अप्रार्थीगण के विरूद्व अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारिख पेशी दिनांक 02.09.2021 तक इस आशय कि जारी की जाती है कि मौजा पिपलिया के वादग्रस्त ख.न. 1934 रकबा 1.6268 हैक्टेयर, ख.न. 2055 रकबा 0.9955 हैक्टेयर का अप्रार्थीगण द्वारा बैचान, हस्तान्तरण नहीं करने एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे न ही उपयोग उपभोग में बाधा एवं खुर्द बुर्द नहीं करे, तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी दिनांक 02.09.2021 तक पाबंद किया जाता है।

नोटः–

1. उक्त अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा **DILRMP** के कार्य पर एवं
2. अन्तर्गत धारा 251, 251 अ आरटीएक्ट पर प्रभावी नहीं रहेगी।
3. उक्त अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारिख पेशी दिनांक 02.09.2021 ही प्रभावी रहेगी।

अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन जरीये जबाव प्रस्तुत करें अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेंगी। मिशल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 02.09.2021 पेश हो।

सहायक कलक्ट्रर
खींवसर

11/8/21

[illegible]

विपक्षी स्वामी को करना दिया व अतिरिक्त -
गया। इस प्रकरण को आगे चलाने का -
कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है अतिरिक्त
प्रार्थी का उक्त प्रकरण वापिस लिये -
हेतु निवेदन पत्र पर मानते विपक्षी स्वामी को
पक्षकारान पाबन्द किया जाकर दिनांक -
खारिज बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर